प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
[illegible]/11/25	वकील प्रार्थी उप० । TDR Report प्राप्त पत्रा० वास्ते जवाब पेशकार सरकार एवं बहस दि० 14/11/25 को पेश हो। [signature]	
14/11/25	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत नकली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 21/11/25 को पेश हो [signature]	
21/11/25	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत नकली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8/12/25 को पेश हो [signature]	
8/12/25	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत नकली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19/12/25 को पेश हो [signature]	
19/12/25	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत नकली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 को पेश है [signature]	
23/12/25	वकीलवादी उप० । पत्रा० वास्ते आदेश दि० 30/12/25 को पेश हो। [signature]	
30/12/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act मे निहित प्रावधानो मे पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लेखबद्ध कर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0 352/प्रा0 पत्र/2025

तारीख दायरा 25.04.2025

तारीख फैसला 30.12.2025

सेनू लाल उर्फ सोनू कुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र कन्हैया लाल जाति काछी पैशा कृषि निवासी ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दीं, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राज0 राज्य जरये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दीं, राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री ग्यारसीलाल गुर्जर
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम भोपतपुरा पटवार मण्डल बल्लोप भू.अ.नि. बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित है उक्त भूमि के खसरा संख्या 42 रकबा 1.3436 है0 जिसमे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम सेनू लाल पुत्र कन्हैया लाल जाति काछी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त लोक दस्तावेज में जो लोक दस्तावेज है उनके प्रार्थी का नाम सोनू कुमार पुत्र कन्हैया लाल लिखा हुआ है। प्रार्थी का नाम सेनू लाल के स्थान पर सोनू कुमार नाम सही है। प्रार्थी ने तहसीलदार तालेड़ा से प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सेनू लाल के स्थान पर सोनू कुमार दर्ज करने का निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा आज दिन तक उक्त संशोधन करने बाबत कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिस कारण प्रार्थी को अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार की उपरोक्त पर लोन प्राप्त करने कृषि भूमि का विकास करने हस्तांतरण करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से नाम सेनू लाल के स्थान पर पुनः सोनू कुमार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार तालेड़ा के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण आज दिनांक से लगभग 25 दिन पूर्व तहसीलदार तालेड़ा ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सेनू लाल के स्थान पर सोनू कुमार दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सेनू लाल के स्थान पर सोनू कुमार दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 282, आधार कार्ड, वोटर आईडी, 10 वीं की अंकतालिका, एवं पेनकार्ड की छायाप्रति पेश की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर पर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा अंकित की गई भूमि खसरा सं0 342 पर सेनु लाल आ0 कन्हैयालाल का नाम नामा0 स0 275 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अमल दरामद किया गया था जिसकी छायाप्रति उक्त जाँच रिपोर्ट के साथ संलग्न है। उक्त भुमि के सहखातेदार एवं ग्रामवासियान से मिली जानकारी के आधार पर राजस्व रेकाई में दर्ज नाम सेनु लाल एवं प्रार्थी सोनू कुमार दोनों एक

है। भूमि विक्रय पत्र में वर्णित नाम के अनुसार सही दर्ज हुई है ऐसी स्थिति में नाम परिवर्तन किया जाना प्रतीत नहीं है ।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि भूमि खसरा सं0 342 पर सेनु लाल आ0 कन्हैयालाल का नाम नामा0 स0 275 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अमल दरामद किया गया था। प्रार्थी का नाम भूमि विक्रय पत्र में वर्णित नाम के अनुसार सही दर्ज हुई है ऐसी स्थिति में नाम परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं है ।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सेनू लाल के स्थान पर सोनू कुमार दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पेरोकार सरकार ने दोराने बहस निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित नाम के आधार पर दर्ज नामान्तरकण सं0 275 से आया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह प्रमाणित है कि प्रार्थी का नाम वाद वर्णित आराजी में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05. 2002 के आधार पर जर्ये नामान्तकरण सं0 275 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है। उक्त इन्द्राज में किसी प्रकार की त्रुटी होना नहीं पाये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में निहित प्रावधानों में पोषणीय नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में निहित प्रावधानों में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा